संख्या-542/2017/925/22-2-2017-17(184)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजयपाल पुत्र श्री रघुनाथ निवासी जनपद-फिरोजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12857/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.04.2017 दिनांक 27.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजयपाल पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी-जफराबाद, थाना-मक्खनपुर, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.09.97 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल, पौनिया व कट्टे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-269/98 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 302, 506 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 15.12.2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2012 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2017 तक 18 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 00 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 02 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में अभियुक्त है एवं 02 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। अत: समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विजयपाल (बन्दी संख्या-16052) पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी-जनपद-फिरोजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-542/2017/925/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in